卐श्री महावीराय नमः卐

# जैन सभा (रजि.) रोहतक

(श्री चिन्तामणी पार्श्वनाथ अतिशयक्षेत्र)

मुख्य कार्यालय :- जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बडा बाजार, रोहतक

चुनाव कार्यालय :- श्री दिगम्बर जैन बाबा हुकमचन्द जी, भगवान महावीर मार्ग, रोहतक

website : www.jainsabharohtak.in email : rohtakjainsabha1905@gmail.com

कार्यालय समय :- प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

क्रमांक संख्या JS/2014/2519 दिनांक 5/12/2014

## चुनाव नियमावली

जैन सभा (रजि.) संविधानानुसार एवं कॉलिजियम/प्रबन्धकारिणी समिति दिनांक 06.11.2014 के प्रस्तावानुसार:-

जैन सभा (रजि.) रोहतक का त्रिवार्षिक चुनाव वर्ष 2014 से 2017 तक संविधान नियम 7-2 व 7-3 अनुसार कॉलिजियम के 65 सदस्यों का निष्पक्ष निर्वाचन/चुनाव गुप्त मतदान द्वारा रविवार दिनांक 04 जनवरी 2015 को होगा और नवनिर्वाचित कॉलिजियम के 65 सदस्यों में से 5 पदाधिकारी सहित शासकीय निकाय के 8 सदस्यों का निष्पक्ष रूप से निर्वाचन चुनाव दिनांक 18 जनवरी 2015 तक समपन्न होगा।

1. जैन सभा (रजि.) रोहतक, सदस्यता सूची 2014 जो दिनांक 16 सितम्बर 2014 को जारी की गई, जिसमे आजीवन सदस्य 2341 का नाम शामिल है। इन्हे 65 निर्वाचकगण/मण्डल/ वार्ड भैगोलिक स्थिति/क्रमशः से बनाए गए है। जिस सदस्य का जिस निर्वाचनगण/मण्डल/वार्ड सदस्य सूची (VOTER LIST) में नाम शामिल है। उस सदस्य को उसी निर्वाचकगण/वार्ड में अपने मत का उपयोग करते हुए गुप्त मतदान द्वारा मत देने का अधिकार होगा।

2. जैन सभा (रजि.) रोहतक का कॉलिजियम व सभा पदाधिकारी तथा शासकीय निकाय का कार्यकाल अक्टूबर 2017 तक होगा।

3. जैन सभा (रजि.) के पदाधिकारियो का नामांकन कॉलिजियम सदस्य का चुनाव शुल्क राशि 5100रूपये तथा कॉलिजियम/शासयीक निकाय सदस्यों के लिए नामांकन भरने वालों को चुनाव शुल्क राशि 1100रूपया नामांकन आवेदन पत्र के साथ चुनाव कार्यालय में निर्धारित समय पर जमा करवाना होगा। चुनाव शुल्क नामांकन वापिसी पर लौटाया नहीं जाएगा।

4. जैन सभा (रजि.) कॉलिजियम सदस्य हेतु नामांकन पत्र उन्ही आजीवन सदस्यों को होगा। जो चुनाव वर्ष से एक वर्ष पूर्व से आजीवन सदस्य है। यानि जिन्होने दिनांक 14.9.2013 तक अपनी सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्हे ही कॉलिजियम सदस्य के लिए नामांकन आवेदन पत्र देने का अधिकार होगा।

5. जैन सभा (रजि.) का आजीवन सदस्य जिनका नाम सदस्यता सूची में शामिल है प्रत्येक सदस्य सभा के सामान्य निकाय का सदस्य होगा तथा कॉलिजियम सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए तब तक हकदार नही होगा जब तक वह वार्षिक अंशदान व उसकी तरफ सभा अथवा सभा के अन्तर्गत किसी भी संस्था का कोई चन्दा व किसी भी प्रकार का धन या रिकार्ड बकाया है ऐसा आजीवन सदस्य कॉलिजियम सदस्य के लिए अपना नामांकन आवेदन पत्र भी नही दे सकेगा। जब तक वह अंशदान व चन्दा तथा किसी भी प्रकार का धन या रिकार्ड जमा ना करवा दें।

पृष्ठ-2

6. जैन सभा (रजि.) के त्रिवार्षिक चुनाव में आजीवन सदस्य में से कॉलिजियम सदस्य व सभा पदाधिकारी तथा शासकीय निकाय सदस्य के लिए चुनाव लडना चाहे वे निर्धारित नामांकन आवेदन पत्र ठीक से पूरा भरकर चुनाव कार्यालय में चुनाव शुल्क सहित निर्धारित समय पर जमा कराएंगे. नामाकंन पत्र पर कम से कम सभा के एक सदस्य से प्रस्ताव तथा एक सदस्य अनुमोदित करना होगा।

7. जैन सभा (रजि.) सदस्य परिचय पत्र फोटो प्रति आवेदनकर्त्ता, प्रस्तावककर्त्ता, अनुमोदनकर्त्ता द्वारा स्वयं प्रमाणित कर नामाकंन पत्र के साथ सलंग्न करके तीनो में से कोई एक व्यक्ति नामांकन पत्र जमा करा सकता है।

8. जैन सभा (रजि.) का आजीवन सदस्य कॉलिजियम के 65 निर्वाचकगण/मण्डल/ वार्ड में से किसी भी एक निर्वाचकगण/मण्डल/वार्ड से अपना नामांकन आवेदन पत्र या अन्य मण्डल/वार्ड से कॉलिजियम सदस्य व सभा पदाधिकारी तथा शासकीय निकास सदस्य अपना नामांकन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य नामांकन आवेदन पत्र वापिस लेने होगें, अन्यथा सभी नामांकन आवेदन पत्र रद (केन्सिल) हो जाएगें तथा चुनाव शुल्क राशि वापिस नही होगी।

9. जैन सभा (रजि.) आगामी कॉलिजियम के निर्वाचन एवं नवनिर्वाचित कॉलिजियम के 65 सदस्यों में से 5 सभा पदाधिकारी (प्रधान, उप-प्रधान, महामन्त्री, सयुंक्तमन्त्री, कोषाध्यक्ष) सहित शासकीय निकाय से 8 सदस्य का निर्वाचन/निर्वाचित करेगें।

10. जैन सभा (रजि.) के आजीवन सदस्य को कॉलिजियम सदस्य उम्मीदवार के चुनाव, गुप्तमतदान करते समय जैन सभा (रजि.) रोहतक का परिचय पत्र या ड्राईविर लैसन्स, राशनकार्ड फोटोयुक्त, पासपोर्ट आदि की असल प्रतियां चुनाव अधिकारी को दिखाना होगा। अन्यथा मुख्य चुनाव अधिकारी या सहायक चुनाव अधिकारी से हस्ताक्षर युक्त पर्ची से मतदान कर सकेगें।

11. जैन सभा (रजि.) के कॉलिजियम सदस्य के लिए नामांकनकर्त्ता/उम्मीदवार दस या दस से अधिक नामांकन कर्त्ता एवम् पदाधिकारी व शायकीय निकाय सदस्य नामांकनकर्त्ता/उम्मीदवार पांच या पांच से अधिक नामांकनकर्त्ता लिखित सयुंक्तरूप से हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र, मांग करने पर उन्हे चुनाव चिन्ह एक ही निशान का प्रदान किया जाएगा।

12. जैन सभा (रजि.) रोहतक के त्रिवार्षिक चुनाव, कॉलिजियम सदस्यों का मतदान, रविवार दिनांक 04.01. 2015 समय प्रात: 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के उपरान्त, मतों की गिनती होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी व दोनों सहायक चुनाव अधिकारी सयुंक्त रूप से नवनिर्वाचित कॉलिजियम के 65 सदस्य का परिणाम घोषित करेगे और, सोमवार दिनांक 05.01.2015 को निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण-पत्र देगें। कॉलिजियम के 65 सदस्यों में से 5 पदाधिकारीयों सहित शासकीय निकास के 8 सदस्यों का चुनाव/निर्वाचन दिनांक 18.01.2015 के पूर्व समपन्न करवाएगें। सभा पदाधिकारी व शासकीय निकाय सदस्य नवनिर्वाचित होने पर मुख्य चुनाव अधिकारी व दोनों सहायक चुनाव अधिकारी सयुंक्त रूप से परिणाम घोषित कर प्रमाण पत्र देगें।

नोट:- 1. चुनाव प्रकिया अधिसूचना एवं चुनाव नियमावली में समयनुसार परिवर्तन मुख्य चुनाव अधिकारी व दोनो सहायक चुनाव अधिकारी जैन सभा प्रधान और महामन्त्री के परामर्श से कर सकते है।

2. जैन सभा (रजि.) रोहतक का संशोधित संविधान, सदस्यता सुची 2014, निर्वाचकगण/मण्डल/वार्ड-65 जो बनाए गए है उसकी सूची, त्रिवार्षिक चुनाव अधिसूचना, चुनाव नियमावली चुनाव सम्बधी सभी प्रकिया सुचना या आदेश समयानुसार/नियमानुसार जैन सभा (रजि.) के चुनाव कार्यालय श्री दिगम्बर जैन, बावा हुकमचन्द जैन जती जी, भगवान महावीर मार्ग, रोहतक पर प्रात: 9.00 बजे से 3.00 बजे तक या जैन सभा Website: www.jainsabharohtak.in पर देख सकते है। यदि आप चुनाव सम्बन्धित कोई जानकारी लेना चाहे या कोई शिकायत करना चाहे उसे लिखित रूप से चुनाव कार्यालय या जैन सभा की E;mail: rohtakjainsabha1905@gmail.com पर दे सकते है।

दिनांक: 5.12.2014
स्थान: रोहतक

मनोज कुमार जैन
महामंत्री
जैन सभा (रजि.), रोहतक

राजेश जैन
प्रधान
जैन सभा (रजि.), रोहतक